



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2019/ PHALGUNA 16, 1940

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 7 मार्च, 2019

सं. फेमा 1/2019-आरबी

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2019**

**सा.का. नि. 198(अ).**—विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सुरक्षा परिषद के संकल्प को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया पर कार्यान्वित करने के संबंध में दिनांक 21 अप्रैल 2017 का आदेश का.आ. 1549(अ) जारी किया गया है। अतः विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.1/2000- आरबी), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2019

कहलाएगी।

ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

## 2. विनियम 4 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूंजी खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000- आरबी) के विनियम-4 में उप-विनियम (बी) के बाद निम्नलिखित खण्डों को उप-विनियम (सी) तथा (डी) के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है :

“(सी) भारत का कोई भी निवासी व्यक्ति, जब तक कि उसके पास किसी प्रकार का लेनदेन करने के लिए केंद्र सरकार का कोई विशिष्ट अनुमोदन नहीं है, तब तक किसी ऐसे व्यक्ति, जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नागरिक या निवासी है अथवा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में निगमित अथवा अन्य किसी संस्था के साथ अगले आदेश तक ऐसा कोई भी पूंजी खाता लेनदेन नहीं करेगा जो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 अप्रैल 2017 के आदेश का.आ. 1549(अ) के अनुसार अनुमत नहीं है।

(डी) भारत का निवासी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति, जो कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नागरिक या निवासी है अथवा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में निगमित अथवा अन्य किसी संस्था अथवा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विद्यमान किसी प्रतिनिधि कार्यालय के साथ जारी अपने निवेश लेनदेन अथवा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में धारित अपनी आस्तियों को, जो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 अप्रैल 2017 के आदेश का.आ. 1549(अ) के अनुसार अनुमत नहीं है इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से 180 दिन के भीतर बंद/ परिसमाप्त/ बेच देगा / निपटान करेगा, जब तक कि उक्त अवधि से अधिक समय तक उन्हें जारी रखने के संबंध में केंद्र सरकार से उन्हें कोई विशिष्ट अनुमोदन न दिया गया हो।”

[फा. सं. 1/2/EM-2018]

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

### पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 5 मई, 2000 के सा. का. नि. सं. 384(अ) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में संशोधन के तहत

सा. का. नि. 207(अ) दिनांक 23 मार्च, 2004

सा. का. नि. 14(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2008

सा. का. नि. 551(अ) दिनांक 14 अगस्त, 2013

सा. का. नि. 488(अ) दिनांक 11 जुलाई, 2014

सा. का. नि. 283(अ) दिनांक 13 अप्रैल, 2015

सा. का. नि. 425(अ) दिनांक 26 मई, 2015

सा. का. नि. 859(अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2015

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**  
Mumbai, the 7th March, 2019

**No. FEMA 1/2019-RB**

**Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transaction) (First Amendment) Regulations, 2019.**

**G.S.R. 198(E).**—Government of India, Ministry of External Affairs, issued the Order S.O. 1549(E) dated April 21, 2017 implementing the Security Council Resolution on Democratic People’s Republic of Korea. Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 6 read with sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (Act 42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA.1/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:-

**1. Short Title & Commencement:-**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) (First Amendment) Regulations, 2019.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment to Regulation 4:-**

The following clauses are inserted as sub-Regulations (c) and (d) after sub-Regulation (b) in Regulation 4 of the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 1/2000-RB dated May 3, 2000):

“(c) No person resident in India shall undertake any capital account transaction which is not permissible in terms of Order S.O. 1549(E) dated April 21, 2017, as amended from time to time, of the Government of India, Ministry of External Affairs, with any person who is, a citizen of or a resident of Democratic People’s Republic of Korea, or an entity incorporated or otherwise, in Democratic People’s Republic of Korea, until further orders, unless there is specific approval from the Central Government to carry on any transaction.

(d) The existing investment transactions, with any person who is, a citizen of or resident of Democratic People’s Republic of Korea, or an entity incorporated or otherwise in Democratic People’s Republic of Korea, or any existing representative office or other assets possessed in Democratic People’s Republic of Korea, by a person resident in India, which is not permissible in terms of Order S.O. 1549(E) dated April 21, 2017, as amended from time to time, of the Government of India, Ministry of External Affairs shall be closed/liquidated/disposed/settled within a period of 180 days from the date of issue of this Notification, unless there is specific approval from the Central Government to continue beyond that period.”

[F. No. 1/2/EM-2018]

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-In-Charge

**Foot Note:**

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No.384 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide:

G.S.R.207 (E) dated March 23, 2004

G.S.R.14 (E) dated January 5, 2008

G.S.R.551 (E) dated August 14, 2013

G.S.R. 488 (E) dated July 11, 2014

G.S.R. 283 (E) dated April 13, 2015

G.S.R. 425 (E) dated May 26, 2015

G.S.R.No.859 (E) dated November 16, 2015